प्रकरण संख्या 42/14 2016/00049 ता0 रजू 12.06.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

1. विक्रम सिंह उम्र 51 साल
2. विजेन्द्र सिंह उम्र 48 साल

} पुत्रान इन्दर सिंह जाति गुर्जर निवासी देहमोली तहसील करौली जिला करौली

– अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 07.04.2014 नम्बरी मु0 409/13 उनवानी सरकार बनाम विक्रम सिंह वगै0 में बेदखल कर फसल की नीलामी की जाकर एक माह के कारावास से दण्डित किया है।

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश हुई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम दहमोली तहसील करौली की आराजी खसरा नं. 163, रकबा 10 विस्वा, किस्म गै.मु. नाला भूमि पर विक्रमसिंह, विजयसिंह पि. इन्दरसिंह जाति गुर्जर निवासी दहमोली तहसील करौली द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का सायपुर द्वारा न्यायालय तहसील करौली में पेश किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा उक्त भूमि से बेदखली, फसल जब्त कर नीलामी व एक माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 07.04.2014 को पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को साक्ष्य समुचित अवसर दिये बगै सरसरी तौर पर निर्णय करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट का उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 163 रकवा 10 विस्वा पर राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2014 नियत है। उक्त प्रकरण की नकल लाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में भी निवेदन किया लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के निस्तारण कर अपीलाण्ट को बेदखल व फसल नीलाम करने तथा एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में तत्परता बरतते हुए कानूनी भूल की है तथा विजय सिंह नाम को गलत सजा की है तथा विजेन्द्र सिंह को इस फैसले की आड में जेल भेजना गैर कानूनी है। उक्त जमीन खसरा नं0 163 को शामिल करते हुए प्रार्थीगण की जमीन 157 व 158 व 162 में होकर अनाधिकार रूप से सड़क निकालने पर प्रार्थीगण की ओर से दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी विजेन्द्र सिंह बनाम राज0 सरकार मु0 नं0 136/12 एवं इसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नम्बरी 108/12 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विजेन्द्र सिंह बनाम राज0 सरकार अपील दीवानी नं0 3/2014 दिनांक 29.05.2014 को मंजूर की जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में होकर सड़क नहीं बनाने के लिये राजस्थान सरकार को पाबन्द किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सुनवाई न करके सजायाब करने में कानूनी भूल की है। निर्णय की छायाप्रति प्रमाण में प्रस्तुत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में 124/13 में के अनुसार बेदखल करने का तथ्य कतई गलत अंकित किया है। उक्त निर्णय की मौके पर आज तक पालना नहीं हुई है। इसलिये पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए दण्डित करने में कानूनी भूल की है। विवादित खसरा नं0 163 गत 70 साल से नाले के

जिला कलक्टर
करौली

रूप में कभी नहीं रहा। मौके पर समतल आराजी है जिसको बनाने में अपीलाण्ट ने लाखों रूपयें खर्च करके एवं जिस्मानी मेहनत करके अपीलाण्ट ने बनवाया है। माननीय रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय है कि मात्र पेपर एण्ट्री के आधार पर निर्णय करना गैर कानूनी है। भूमि का वास्तविक उपयोग की जाँच किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसको न किया जाकर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। गाँव में राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थीगण को अकारण परेशान किया जा रहा है। इसी भूमि के कुछ हिस्से पर फैली व दीगर व्यक्तियों का कब्जा है जिनको आज तक धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस ना जारी करना अपीलाण्ट के खिलाफ द्वेषता स्पष्ट जाहिर होती है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी का अपीलाण्ट की मौजूदगी में बयान लिया जाना कानूनन आवश्यक है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी का किसी प्रकार का बयान तक ना लेकर कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिवत् पत्रावली आदेशिकायें लिखी न जाकर मनमाने तौर पर अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में दिनांक 07.04.2014 को निर्णय पारित कर दिया। जब सरकार की ओर से कोई साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है तो गैरसायलान की साक्ष्य को समय दिये बगैर साक्ष्य बंद किये जाने में कानूनी गलती है। उक्त निर्णय की अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.06.2014 को चौकी रघुवंशी द्वारा जानकारी देने पर उसी रोज नकल की दर0 अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय नकल प्राप्त करने की पेश की जो दिनांक 09.06.2014 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व उक्त निर्णय की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिये जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है। दिनांक 08.06.2014 से दिनांक 12.06.2014 तक के समय को क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में पृथक से दफा 5 कानूनी मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में स्टे जेर तजबीज है। भूमि मौके पर काश्ता होने एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगी होने के कारण पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। भूमि नियमन होने योग्य है। 1994 आर.आर.डी. पेज 208 व 1995 आर.आर.डी. पेज 628 के अनुसार जमीन का वास्तविक उपभोग देखा जावेगा ना कि जमाबंदी, 2001 आर.आर. डी. पेज 401 के अनुसार पश्चातवर्ती अतिचार के लिए पूर्व की अतिक्रमी कार्यवाही व बेदखली कार्यवाही पेश होना जरूरी है, 1996 आर.आर.डी. पेज 480 के अनुसार हल्का पटवारी से जिरह का मौका देना आवश्यक है, 1992 आर.आर.डी. पेज 498 के अनुसार स्ट्रिप लैण्ड खातेदारी भूमि 162 से लगी होने के कारण कब्जे का आधार पर नियमन होने योग्य है, 2006 आर.आर. डी. पेज 59 के अनुसार अदम मौजूदगी का निर्णय निरस्त होगा। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर तहसीलदार करौली द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.04.2004 को निरस्त किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम दहमोली तहसील करौली की आराजी खसरा नं. 163 रकबा 10 विस्वा किस्म गै.मु. नाला भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया है। पूर्व में भी मुकदमा संख्या 124/13 में अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जो अपीलार्थी नं. 1 पर तामील हुआ था एवं अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु समय चाहा था जिस पर अपीलार्थी को 1 माह का समय दिया गया था फिर भी अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की थी ना ही अपीलार्थी जिरह के लिए उपस्थित हुआ था जिससे उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। खसरा नं. 163 किस्म गै.मु. नाला अपीलार्थी की खातेदारी भूमि नहीं होकर राजकीय भूमि है। बयान पटवारी हल्का लिये गये थे जो पत्रावली में संधारित हैं। अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णयों की प्रमाणित प्रति आज तक इस न्यायालय में पेश नहीं की गई है और अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय से स्टे जेर तजबीज होना बता रहा है लेकिन अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से जारी स्टे की प्रमाणित प्रति आज दिनांक तक इस न्यायालय में पेश नहीं की है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अपनी अपील को देरीना करना चाहता है

जिला कलक्टर
करौली

जिससे न्यायालय का श्रम व समय दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

हमने बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। विक्रम सिंह व विजय सिंह के नाम तहसीलदार करौली द्वारा संयुक्त नोटिस जारी किया गया जो उचित नहीं है। विजयसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति गुर्जर निवासी दहमोली नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं अथवा विजयसिंह व विजेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, यह जांच किया जाना जरूरी है क्योंकि नोटिस की तामील प्रति पर विजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं एवं अपील में भी विजयसिंह ना आकर विजेन्द्र सिंह आया है। विक्रम सिंह ने न्यायालय तहसीलदार करौली में उपस्थित होकर जवाब एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय चाहा था जो उन्हें दे दिया गया। नियत आगामी दिनांक को ना तो अपीलार्थी न्यायालय तहसीलदार करौली में उपस्थित हुआ और ना ही जवाब व माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट के निर्णय की प्रति पेश की जिससे अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 17.12.2014 को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण में स्थगन जेर तजबीज होना बताया लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण में स्थगन होने बाबत् स्थगन आदेश की प्रति पेश नहीं की है। इससे अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण को अनावश्यक देरीना किया जाना विदित होता है। अपीलार्थीगण को पूर्व में मुकदमा नं. 124/13 में बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार अब अतिक्रमी का यह पश्चात्वर्ती अतिक्रमण है। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर द्वितीय अपील की प्रति पेश की है जो अपीलार्थी नं. 1 व दीगर व्यक्तियों के बीच विवाद की है जिसमें खसरा नं. 163 सरकारी भूमि पर कब्जा को लेकर विवाद है। राजस्थान सरकार इस अपील में पक्षकार नहीं है और ना ही अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में कोई स्थगन आदेश पेश किया है। खसरा नं0 163 को शामिल करते हुए प्रार्थीगण की जमीन 157 व 158 व 162 में होकर अनाधिकार रूप से सड़क निकालने पर प्रार्थीगण की ओर से दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी विजेन्द्र सिंह बनाम राज0 सरकार मु0 नं0 136/12 एवं इसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नम्बरी 108/12 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विजेन्द्र सिंह बनाम राज0 सरकार अपील दीवानी नं0 3/2014 दिनांक 29.05.2014 को मंजूर की जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में होकर सड़क नहीं बनाने के लिये राजस्थान सरकार को पाबन्द किया था जिसकी वर्तमान स्थिति इस न्यायालय में पेश की गई है। तत्कालीन समय में दिया गया स्थगन भी खातेदारी भूमि से संबंधित है जबकि खसरा नं. 163 सरकारी भूमि है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2014 को विजयसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति गुर्जर निवासी दहमोली के नाम की हद तक अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते हैं कि विजयसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति गुर्जर निवासी दहमोली नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं अथवा विजयसिंह व विजेन्द्रसिंह एक की व्यक्ति के दो नाम हैं, यह जांच कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय दिनांक 07.04.2014 का शेष भाग यथावत् रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को उनकी पत्रावली कि साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली